(शिर्क—ओ—बिद्अ़त के ख़िलाफ़ ऐलान—ए—जंग)

इमाम

चार नहीं सिर्फ़ एक

पेशकरदः
अबू अ़ब्दुल्लाह 'मुहम्मदी'

नोटः—इस पुस्तक के असल लेखक ग़ालिबन मसऊ़द अहमद हैं, नाम कन्फ़र्म न होने की वजह से हम उनका नाम नहीं दे रहे हैं। (अबू अ़ब्दुल्लाह 'मुहम्मदी')

प्रथम बार — 1000 प्रतियां

प्रकाशित — दिसम्बर, सन् 2011 ई0

सहयोग राशि — 30/ — रू0

प्त्क्

—:प्रकाशक:—

इस्लामिक रिसर्च एण्ड दा'वा सेन्टर

Under-Islamic Welfare Society, Mirzapur(Regd.)

कटरा कोतवाली के पीछे, मुहम्मदी गली
मिर्ज़ापुर — 231001 (यू0पी0)
मो0 — 9919737053

email:islamicresearch01@yahoo.com
—:बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिमः—

(शिर्क—ओ—बिद्अ़त के ख़िलाफ़ ऐलान—ए—जंग)

इमाम चार नहीं सिर्फ़ एक

यानि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम)

यहां इमाम से मुराद वो इमाम नहीं जो नमाज़ पढ़ाता हो। इमाम से मुराद वो इमाम नहीं जो किसी फ़न में महारत रखने की वजह से उस फ़न में इमाम कहलाता हो। इमाम से मुराद वो इमाम नहीं जो अमीर या हुक्मरां हो, इमाम से मुराद वो इमाम भी नहीं जो किसी नेकी में पहल करने की वजह से दूसरों के लिए अगुवा बन जाए, बल्कि!

इमाम से मुराद वो इमाम है जिसको अल्लाह तआ़ला ने इमामत के मंसब पर सरफ़राज़ फ़रमाया हो। जिसका हर हुक्म वाजिबुल इत्तेबाअ़् हो, जिसका हर लफ़्ज़, हर जुमला ज़िन्दगी के लिए बेहद ज़रूरी हो, जिसका हर अ़मल हिदायत की रोशनी हो, जिसकी इताअ़त अल्लाह की इताअ़त हो,

जिसकी इमामत वक़्ती न हो बल्कि क़यामत तक के लिए हमेशा रहने वाली हो, जो मासूम हो, जिससे दीनी बात में ग़लती होना नामुमकिन हो, जिसकी हर दीनी बात अल्लाह की तरफ़ से भेजी गयी हो।

हाकिम सिर्फ़ एक है। यानि अल्लाह तआ़ला। उसके बन्दों पर सिर्फ़ उसी का हुक्म चलता है, दूसरों का नहीं। लेकिन अल्लाह तआ़ला का हुक्म हर बन्दे के पास सीधा नहीं पहुँचता बल्कि वो अपने बन्दों में से किसी एक बन्दे को चुन लेता है और उस बन्दे को अपने तमाम अहकाम की इत्तिलाअ़ देता है। वो बन्दा अल्लाह तआ़ला के तमाम अहकाम दूसरों को बता देता है। ऐसे बन्दे को नबी या रसूल कहते हैं। रसूल, अल्लाह तआ़ला और बन्दे के बीच वास्ता होता है। इसी के ज़रिये अल्लाह तआ़ला की इताअ़त होती है, रसूल की इताअ़त ऐन अल्लाह की इताअ़त होती है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–''**जिसने रसूल** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) **की इताअ़त की उसने दरहक़ीक़त अल्लाह की इताअ़त की।**''

(सूरः निसा, आयत–80)

रसूल खुद अपनी इताअ़त नहीं कराता बल्कि उसकी इताअ़त अल्लाह के हुक्म से की जाती है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–"**कोई रसूल हमने नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअ़त की जाए।**" (सूरः निसा, आयत–64) क्योंकि इताअ़त सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला का हक़ है, लिहाज़ा बग़ैर उसके हुक्म या इजाज़त के दूसरे की इताअ़त नहीं की जा सकती। अगर कोई शख़्स बग़ैर अल्लाह तआ़ला के हुक्म या इजाज़त के दूसरे की इताअ़त करता है तो गोया उसने इस दूसरे शख़्स की इताअ़त को अपने ऊपर फ़र्ज़ क़रार दे दिया। अगर बन्दे खुद किसी को इताअ़त के लिए चुन लें तो गोया वो खुद इलाह बन बैठे, अल्लाह तआ़ला की तक़सीमे रिसालत पर खुद क़ाबिज़ हो गये और ये शिर्क है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–"**अल्लाह ही खूब जानता है कि वो अपनी रिसालत किसको अ़ता फ़रमाए।**"

(सूरः अनआ़म, आयत–124)

लिहाज़ा वो जिस किसी को रिसालत अ़ता फ़रमाता है उसे तमाम इन्सानों का इमाम व इताअ़त के लायक़ बना देता है।

इमाम बनाना लोगों का काम नहीं। जो लोग रसूल के अलावा दूसरों को इताअ़त के लायक़ इमाम बना लें, फिर उन्हीं की इताअ़त करें, उन्हीं के फ़तवों को आख़िरी सनद समझें वो रिसालत में किये गये शिर्क के ज़िम्मेदार होंगे।

सिर्फ़ रसूल ही अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से तमाम इन्सानों के लिए इमाम बनाकर भेजा जाता है। रसूल को रिसालत या इमामत अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से अ़ता होती है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–**"(ऐ इबराहीम) मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना रहा हूँ।"** (सूरः बकरः, आयत–124)

हज़रत इबराहीम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि इमाम बनाना सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला का काम है लिहाज़ा वो दुआ़ फ़रमाते हैं–**"(ऐ अल्लाह) मेरी औलाद में से भी (इमाम बनाना)।"**

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–**"(हॉ बनाऊॅगा लेकिन) यह वादा ज़ालिमों के लिए नहीं होगा।"** (सूरः बकरः, आयत–124)

ऊपर की आयत से यह बात साबित हुई कि इमाम बनाना अल्लाह तआ़ला का काम है ना कि इन्सानों का। दूसरी बात

यह साबित हुई कि इमाम ज़ालिम व गुनाहगार नहीं होता बल्कि मासूम होता है। लिहाज़ा जो मासूम होगा वहीं इमाम होगा, जो मासूम नहीं वो इमाम ही नहीं और मासूम सिवाए नबी के और कोई इमाम नहीं हो सकता।

हज़रत इबराहीम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम और चन्द दीगर रसूलों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–**"हमने उन रसूलों को इमाम बनाया था, वो हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और हमने उनको नेक काम करने की वह्यी की थी।"**

(सूरः अंबिया, आयत–73)

इस आयत के बाद भी अल्लाह तआ़ला ने बहुत से नबियों का ज़िक्र फ़रमाया है और उनके इमाम बनाए जाने की तरफ़ इशारा फ़रमाया है। इन आयात से साबित हुआ कि इमाम बनाना अल्लाह तआ़ला का हक़ है। इमाम सिर्फ़ रसूल ही होते हैं। रसूल के अलावा अगर किसी दूसरे को इमाम बना लिया जाए तो यह **शिर्क फ़िल इमामत (इमामत के हक़ में शिर्क)** है। रसूल ही की वो हस्ती है जिसको अपने तमाम

इख़्तिलाफ़ात में हुक्म मानना और उसके फैसले को बग़ैर चूं–चरा तस्लीम करना हक़ीक़ी ईमान है, जैसा कि इरशादे बारी है–**"(ऐ रसूल) आप के रब की क़सम लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम इख़्तिलाफ़ात में आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को हक़्म न मान लें और फ़ैसला आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) करें उससे किसी क़िस्म की तंगी न महसूस करें बल्कि उसको ब रज़ा व रग़बत तस्लीम कर लें।"** (सूरः निसा, आयत–65)

इस आयत से मालूम हुआ कि तमात इख़्तिलाफ़ात में रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) आख़िरी सनद हैं जो लोग अपने मुआ़मलात में किसी ग़ैर नबी को सनद मानते हैं, उसे क़ौल व फेअ़्ल को बिला चूँ–चरा और बे दलील तस्लीम करते हैं वह गोया उसको नबी का दर्जा दे देते हैं। ऊपर के आयत के मुताबिक़ ऐसे लोग मोमिन नहीं हो सकते।

रसूल ही वह हस्ती है जिसकी पैरवी करने से अल्लाह तआ़ला मुहब्बत करता है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–**"(ऐ रसूल** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम)**) कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह**

से मुहब्बत करते हो पैरवी (मेरी पैरवी करोगे तो) अल्लाह तुमसे मुहब्ब्त करेगा और तुम्हारे गुनाहों को मआफ. कर देगा, अल्लाह मआफ़ करने वाला, रहम करने वाला है।''

(सूरः आलइमरान, आयत–31)

रसूल ही वह हस्ती है जिसकी इताअत और पैरवी से हिदायत मिलती है। इरशादे बारी है–**''अगर तुम रसूल** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की इताअ़त करोगे तो हिदायतयाब हो जाओगे।

(सूरः नूर, आयत–54)

और **''रसूल की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत मिल सके।''**

(सूरः आराफ, आयत–124)

क्या अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से ऐसी सनदें रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के अलावा किसी और के हक़ में भी वारिद हुई है? अगर नहीं तो बे सनद शख़्स कैसे इमाम हो सकता है, कैसे उसकी इताअ़त और पैरवी से हिदायत मिल सकती है।

रसूल ही वह हस्ती है जो अपने मंसब के लिहाज़ से इस बात का हक़दार है कि वह अल्लाह की तरफ़ से उतारी हुई शरीयत की तश्रीह व तौज़ीह (अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक) शरीअ़त का खुलासा कर सके, किसी दूसरे को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वह तश्रीह व तौज़ीह करे। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–"**ऐ रसूल** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) **हमने शरीअ़त आप** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) **पर (इसलिए) नाज़िल की है ताकि आप** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) **लोगों के लिए नाज़िल की गयी बातों की तश्रीह कर दें और लोग (अपनी निजात के बारे में) सोच सकें।"**

(सूरः नहल, आयत–44)

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही की वो हस्ती है जिसके कहने और करने की मुख़ालिफ़त करना बड़े फ़ित्ने और दर्दनाक अ़ज़ाब को दाअ़्वत देना है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–"**उन लोगों को जो रसूल** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के **कहने और करने के ख़िलाफ़ चलते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए, ऐसा न हो कि कहीं किसी फ़ित्ने में पड़**

जाएं या उन पर कोई दर्दनाक अ़ज़ाब नाज़िल हो जाए।'' (सूरः नूर, आयत–63)

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही की वह हस्ती है जिसका तरीक़ा तमाम मुसलमानों के लिए ज़िन्दग़ी का उसूल है। यही वह नमूना है जिसके मुताबिक़ ज़िन्दग़ी गुज़ार कर लोग अल्लाह तआ़ला से उम्मीद रख सकते हैं। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है–**''बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) **(की ज़िन्दगी) में बेहतरीन नमूना है उस शख़्स के लिए जो अल्लाह और क़यामत की उम्मीद रखता हो और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता हो।'' (सूरः अहज़ाब, आयत–21)**

ये नमूना अल्लाह तआ़ला ने भेजा, अल्लाह के नमूना के अलावा दूसरे नमूने का बनाना खुद को अल्लाह तआ़ला के मंसब पर क़ाएम करना है, और यह शिर्क है।

रसूल ही की वह हस्ती है जिसकी हर बात अल्लाह की तरफ़ से भेजी हुई है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–**''रसूल अपनी ख़्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो जो कुछ कहते हैं वह्यी**

(अल्लाह की कही गयी बात) होती है।'' (सूरः नजम, आयत–3 व 4)

क्या यह सनद किसी को हासिल है, अगर नहीं तो फिर किसी दूसरे की बात कैसे सनद हो सकती है?

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही की वो ज़ाते गिरामी है जिसकी हर बात हक़ है, जो मासूम है, जो कभी ग़लती पर क़ाएम नहीं रहता। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–**''(ऐ रसूल) बेशक आप खुले हुए हक़ पर हैं।''** (सूरः नमल, आयत–79)

क्या अल्लाह की तरफ़ से ये सनद किसी और को मिली है, अगर नहीं मिली तो वो इमाम कैसे हो सकता है? इमाम वही हो सकता है जिसकी हर बात हक़ हो।

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही वो सिराजे मुनीर और रोशन चिराग़ हैं जिसकी रोशनी में अल्लाह तआ़ला की नाज़िल की हुई शरीअ़त का मुताअ़ला हो सकता है। अगर यह रोशन चिराग़ न हो तो फिर अंधेरे में न शरीअ़त–ए–इलाही का मुताअ्ला हो सकता है न सिराते मुस्तक़ीम मिल सकती है। जुलमत में सिवाए गुमराही के और क्या मिल सकता है?

इन्सानों में रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही की वो हस्ती है जिसका फ़ैसला मिल जाने के बाद किसी मोमिन को अख़्तियार बाक़ी नहीं रहता कि वो उस मामले में कोई राय दे या किसी दूसरे की राय ले। मोमिन को रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के फ़ैसले ही पर अ़मल करना होगा और बस। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–**"मोमिन मर्द और औ़रत के लिए ये जायज़ नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मुआ़मले में फ़ैसला सादिर फ़रमा दें तो फिर भी इन्हें इस मुआ़मले में किसी क़िस्म का अख़्तियार बाक़ी रहे (कि उस फ़ैसले के मुताबिक़ करें या न करें) और जो शख़्स भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करेगा वो बड़ी गुमराही में पड़ जायेगा।"** (सूरः अहज़ाब, आयत–36)
क्या ये हक़ अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से किसी और इंसान को दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो फिर वह इमाम कैसे हो सकता है? वह वाजिबुल इत्तिबाअ़ कैसे हो सकता है?

किसी मोमिन को अख़्तियार नहीं है कि रसूल का फ़ैसला सुनने के बाद कोई और बात कहे सिवाए इसके कि **"मैंने सुना और मैं इताअ़त करूँगा।"** अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है—**"जब मोमिनों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ बुलाया जाए ताकि अल्लाह और उसका रसूल उनके बीच फ़ैसला करें तो उनका कहना सिवाए इसके और कुछ नहीं होना चाहिए कि—"हमने सुन लिया और हमने इताअ़त की" ऐसे ही लोग कामयाबी पाने वाले हैं।"**

(सूरः नूर, आयत—51)

क्या यह मंसब भी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से किसी और को अ़ता हुआ है, यक़ीनन नहीं और जब यह मंसब किसी को अ़ता नहीं हुआ तो फिर वो वाजिबुल इत्तबाअ़ कैसे हो सकता है? वो इमाम कैसे हो सकता है?

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही के बारे में अल्लाह तआ़ला की गवाही है कि वो सीधे रास्ते पर हैं। इरशाद बारी तआ़ला है—**"(ऐ रसूल) बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं।"** (सूरःजुख़रूफ़, आयत—43)

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही के बारे में अल्लाह तआ़ला की गवाही है कि वह सीधे रास्ते की तरफ़ दाअ़वत देता है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–**"(ऐ रसूल) बेशक आप सीधे रास्ते की तरफ़ दाअ़वत देते हैं**।" (सूरः मोमिनून, आयत–73)

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही के बारे में अल्लाह तआ़ला की गवाही है कि उसकी पैरवी से सीधा रास्ता मिल सकता है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–**"(ऐ रसूल कह दीजिए) मेरी पैरवी करो यही सीधा रास्ता है।"** (सूरः जुख़रूफ़, आयत–61)

ये आयतें इस बात की खुली सनद हैं कि रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) सीधे रास्ते पर हैं, रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही सीधे रास्ते की तरफ़ दाअ़वत देता है, रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की पैरवी सिराते मुस्तक़ीम (सीधा रास्ता) है। बताईये ये सनदें और ज़मानतें किसी और के पास हैं? नहीं हैं और यक़ीनन नहीं है तो फिर वो इमाम कैसे हो सकते हैं, इनकी बात आख़िरी सनद कैसे हो सकती

है, इनके फ़तवे और क़यासात दीन में किस तरह शामिल हो सकते हैं?

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही की वो हस्ती है जिसकी हर दाअ़्वत और हर पुकार हमेशा की ज़िन्दगी देती व बख़्शती है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–**"ऐ ईमान वालो! जब अल्लाह और रसूल तुम्हें ऐसी बात की तरफ बुलाएं जो तुम्हारे लिए ज़िन्दगी देने वाली हो तो फ़ौरन उनकी बात कुबूल कर लिया करो।"**

(सूरः अनफ़ाल, आयत–24)

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही की वो हस्ती है जिसकी पैरवी न करना मैदाने महशर में हसरत और शर्मिन्दगी की वजह होगी। अल्लाह अ़ज़्ज़–ओ–जल इरशाद फ़रमाता है–**"महशर के दिन गुनाहगार अपने हाथ काट–काट खाएगा और कहेगा ऐ काश मैंने रसूल की पैरवी की होती।"** (सूरः फुरक़ान, आयत–27)

रसूल ही की वो हस्ती है जिसकी पैरवी से रहमत मिलती है अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–**"मेरी रहमत हर चीज़ को**

शामिल है। ये रहमत मैं उन लोगों के लिए लिख दूँगा जो तक़्वा अख़्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, यानि वो लोग जो रसूल की पैरवी करते हैं।''

(सूरः अअ्राफ़, आयत–156, 157)

रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ही की वो हस्ती है जो अल्लाह तआ़ला के अलावा किसी से नहीं डरता, जो किसी के डर से हक़ को नहीं छुपाता जो बेख़ौफ़–ओ–ख़तर हक़ को बयान करता है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–**''जो लोग अल्लाह के पैग़ाम को पहुॅचाया करते थे और अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते (वही आपके लिए नमूना हैं)।''**

(सूरः अहज़ाब, आयत–39)

भला जो लोग ग़ैरूल्लाह से डरते हों, किसी के डर से हक़ को छुपाते हों वह कैसे मासूम हो सकते हैं, उनकी हर बात कैसे हक़ हो सकती है, वो कैसे इमाम हो सकते हैं? इमाम तो दरहक़ीक़त वही हो सकता है जो बेख़ौफ़–ओ–ख़तर

अल्लाह के अहकाम की तब्लीग़ करे और किसी मलामत करने वाले, ताना देने वाले की परवाह न करे बल्कि अपने मुख़ालिफ़ीन को चैलेंज दे कि तुम सब मिल कर जो कुछ मेरे ख़िलाफ़ करना चाहते हो कर गुज़रो और मुझे ज़रा सी भी मोहलत न दो।

हज़रत नूह अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी क़ौम से फ़रमाते हैं–**"तुम अपने तमाम शुरका (माअ़्बूदों) को जमा करो फिर (मेरे ख़िलाफ़) जो कुछ करना चाहते हो सब मिल कर उसका फ़ैसला करो, तुम्हारी तद्बीर का कोई कोना तुमसे छूटने न पाए फिर मेरे ख़िलाफ़ (जो चाहो) कर गुज़रो और मुझे (ज़रा सी भी) मोहलत न दो।"** (सूरः यूनुस, आयत–71)

हज़रत हूद अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी क़ौम से फ़रमाते हैं–**"तुम सब मिल कर मेरे ख़िलाफ़ जो तदबीर करनी चाहो कर लो फिर मुझे (ज़रा सी भी) मोहलत न दो।"**(सूरः हूद, आयत–55)

अल्लाह तआ़ाला रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को मुख़ातब करते हुए फ़रमाता है–**"(ऐ रसूल) आप कह दीजिए**

कि अपने शरीकों को बुलाओ और (सब मिल कर) मेरे ख़िलाफ़ जो तद्बीर करनी चाहो करो, फिर मुझे (ज़रा सी भी) मोहलत न दो।''

(सूरः अअ़राफ़, आयत–195)

अलग़र्ज़ रसूलों के मुताल्लिक़ अल्लाह तआ़ला की गवाही है कि वो किसी से नहीं डरते। वो बेख़ौफ़–ओ–ख़तर हर मसअ्ले को बयान करते हैं, भले ही मुख़ालिफ़ीन इस मसअ्ले को सुनकर कितने ही सख़्त गुस्से में आएं अगर रसूल ऐसा न करें तो हक़–ए–रिसालत अदा नहीं होगा जैसा कि अल्लाह तआ़ला का इरशाद है–**''और अगर आपने अल्लाह की उतारी हुई बातों को पहुंचाया नहीं तो गोया कि आपने रिसालत की ज़िम्मेदारी का हक़ अदा नहीं किया।''** (सूरः माएदः, आयत–67)

जिन ओ़लमा को लोगों ने खुद इमाम बना लिया है और उनकी इताअ़त को वाजिब क़रार दे लिया है उनके ईमान के सुबूत में भी उनके पास कोई यक़ीनी ज़रिया नहीं। हम सिर्फ़ उनके ज़ाहिरी अक़ीदों और आ़माल की वजह से मुहब्बत

रखते हैं कि वो मोमिन हैं, लेकिन उनके मोमिन होने से यह कब लाज़िम आता है कि उनकी तमाम बातें सौ फ़ीसदी सहीह होंगी? उनके जुबां से सिवाए हक़ के और कुछ नहीं निकलेगा, उनसे इज्तिहादी ग़लती नहीं होगी। वह तक़िय्या नहीं करेंगे। किसी के डर और मस्लेहत से हक़ को नहीं छुपाएंगे, न हमारे पास उनके बारे में कोई हुक्म–ए–इलाही की कोई सनद है न खुद उन इमामों के पास वह्यी इलाही की कोई ऐसी सनद है न उनके पास वह्यी आती है कि उनको ग़लती से बचाये तो फिर बताईये कि ऐसी सूरत में वो इमाम कैसे हो सकते हैं? अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–**"ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअ़त करो और रसूल की इताअ़त करो और अपने आ़माल को ज़ाया (बेकार) न करो।"** (सूरः मुहम्मद, आयत–33)

ऊपर की आयत से मालूम हुआ कि आ़माल की कुबूलियत का दारोमदार इताअ़ते रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर है। तमाम अच्छे आ़माल जो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के फ़रमान के मुताबिक़ न किये जाएं बातिल है,

क्या ये हैसियत भी किसी और को हासिल है, अगर नहीं तो वो इमाम कैसे हो सकता है? अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है—**"यक़ीनन अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल बनाया जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़—पढ़ कर सुनाता है, उनको पाक व साफ़ करता है और उन्हें किताब—ओ—हिकमत की ताअ़्लीम देता है।"** (सूरः आल इमरान, आयत—164)

क्या ऐसी सनद अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से किसी और को हासिल है, क्या किसी दूसरे की इत्तिबाअ़् से नफ़्स का पाक होना यक़ीनी है? क्या किसी और शख़्स के बारे में कहा जा सकता है कि उसने किताब—ओ—हिकमत का जो मतलब बताया है वह यक़ीनन सही है अगर नहीं तो वो इमाम कैसे हो सकता है? अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है—**"अगर तुम लोगों में किसी मामले में इख़्तिलाफ़ हो जाए तो उस मामले को अल्लाह और रसूल की तरफ़ ले जाओ।"** (सूरः निसा, आयत—59)

क्या आपस के इख़्तिलाफ़ात में अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के अलावा भी कोई और आख़िरी सनद मुक़र्रर किया गया है अगर नहीं तो फिर वो इमाम कैसे हो सकता है? अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–**"(ऐ रसूल) हमने आपकी तरफ़ हक़ के साथ किताब नाज़िल की है ताकि आप लोगों के दरम्यान (हर तरह) फ़ैसला करें जिस तरह अल्लाह आपको बताए।"** (सूरः निसा, आयत–105)

क्या किसी और के फ़ैसले भी अल्लाह की रहनुमाई में किये जाते हैं, अगर नहीं तो उनकी बात कैसे सनद हो सकती है?

ऊपर लिखी आयतों से साबित हुआ कि सिर्फ़ एक ही हस्ती ऐसी है जिसकी इताअ़त, अल्लाह की इताअ़त है, जिसकी नाफ़रमानी अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी है। जिसका तरीक़ा वाजिबुल इत्तिबाअ़ है, जिसकी हर बात वह्यी है। जो खुद हिदायत पर है और हिदायत की तरफ़ दाअ़्वत देता है। जिसकी इताअ़त व इत्तिबाअ़ से हिदायत मिलती है। जिसकी पैरवी से विलायत मिलती है, जिसके पास इन तमाम बातों के

लिए वह्यी–ए–इलाही की सनद है और वो हस्ती मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की ज़ात–ए–गिरामी है तो फिर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के अलावा किसी और की इताअ़त से, किसी और को आख़िरी सनद या **इमाम** बनाने से सिवाए नुक़सान के और क्या मिल सकता है? ये नुक़सान दो क़िस्म का होगा। एक **शिर्क–फ़िर्रिसालत** या **शिर्क फ़िल इमामत** का, दूसरा **फ़िरक़ाबन्दी** का।

शिर्क किसी क़िस्म का भी हो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। लिहाज़ा इससे बचना बड़ा ज़रूरी है, वरना निजात नामुमकिन है।

फ़िरक़ाबन्दी अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब है और इससे छुटकारा हासिल करने का सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है और वो ये कि सिर्फ़ एक मुत्तफ़क अ़लैह (जिस पर सब उम्मते इस्लामिया का इत्तेफ़ाक़ हो) इमाम को इमाम माना जाए, ऐसा इमाम सिवाए रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के और कौन हो सकता है? कोई फ़िरक़ा ऐसा नहीं जो मुहम्मद

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को वाजिबुल इत्तिबाअ़् न मानता हो, उनकी पैरवी को निजात का ज़रिया ना समझता हो।

इत्तिबाअ़्–ए–रसूल मक़सद है, ओ़लमा और फ़ुक़्हा ज़रिया तो हो सकते हैं, **मक़सद नहीं बन सकते।** ओ़लमा और फ़ुक़्हा इमाम की बातें हम तक पहुॅचाने वाले हैं, खुद इमाम नहीं हैं। **इमाम हमारा सिर्फ एक है और वो वही है जिसको अल्लाह तआ़ला ने हमारा इमाम बनाकर भेजा है।**

00000

हमारा हाकिमः–सिर्फ़ एक यानि **अल्लाह** तबारक–ओ–तआ़ला।

हमारा इमामः–सिर्फ़ एक यानि **मुहम्मद रसूलुल्लाह**(सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम)।

हमारा दीनः– सिर्फ़ एक यानि अल्लाह का पसन्द किया हुआ।

दीन–ए–**इस्लाम**

....

आखि़री बात

इस किताब में सिर्फ़ कुरआनी आयतों के ज़रिये हमने ये साबित कर दिया है कि ''**इमाम** चार नहीं **सिर्फ़ एक''** अब तमाम मुक़ल्लदीन के ऊपर हुज्जत क़ायम हो चुकी है। अब कोई मुक़ल्लिद ये नहीं कह सकता कि हमें मालूम नहीं था।

1. चार इमाम से पहले चार ख़लीफ़ा गुज़रे, जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने उनकी ज़िन्दगी में ही जन्नती होने की बशारत दे दी थी। वो ख़लीफ़ा चारों इमाम से अफ़ज़ल थे, फिर भी अफ़ज़ल को छोड़कर बाद में पैदा हुए इन मफ़ज़ूल इमामों की तक़लीद करने की इजाज़त आपको किसने दी?

2. क्या मौजूदा हालात में चारो इमाम के अक़वाल कुरआन–ओ–हदीस की तरह महफूज़ हैं?

3. क्या कोई भी मुक़ल्लिद इस किताब में पेश किए गए कुरआनी आयतों का इन्कार करने की जुर्रत कर सकता है?

4. क्या कोई भी मुक़ल्लिद इस किताब के जवाब में अपनी शख़्सी तक़लीद को कुरआनी आयतों से साबित कर सकता है? इन्शाअल्लाह, क़यामत तक नहीं।

5. अपने बड़ों का रोअ़्ब, बाप–दादा की पैरवी, जिहालत व झूठे अहं और अन्धी तक़लीद को छोड़कर रब के कुरआन को मानते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना **एक इमाम** और उसकी इत्तिबाअ़् को लाज़िम पकड़ते हुए **मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह** (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) **के दामन से चिमट जाएं।**

अल्लाह तअ़ाला हम सभी मुसलमानों को अपने कुरआन व नबी के फ़रमान को मानते हुए अपनी व सिर्फ़ अपने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की इताअ़त करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। (आमीन)

(प्रकाशक)

....

दीन– ए–हुदा के दो ही उसूल।
हुक्म–ए–इलाही व हुक्मे रसूल।।

दो ही चीज़ें वाजिबुल कुबूल।
अतीऊ़ल्लाह व अतीऊ़र्रसूल।।